प्र.सं. 1/19 धूला के बजाय श्रीमती हाकेर व अन्य बनाम तेजा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद नक्शा लठ्ठा में मौकानुसार सही, शुद्ध व भूमि की घोषणा किया जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हथोड, तहसील बिछीवाड़ा में आराजी नंबर 1855/1583 रकबा 2 बीघा एवं 1843/1583 रकबा 1 बीघा भूमि स्थित है। वादी का आराजी नंबर 1855/1583 रकबा 2 बीघा पर आवंटन दिनांक से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, जिसके मूल नंबर 1583 थे। वादी को मौके पर पूरा 2 बीघा नाप कर कब्जा सिपुर्द किया गया, किन्तु नक्शा लठ्ठे में पैमूदगी सही नाप की एवं सही स्थान पर नहीं की गयी है, जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को आवंटित उक्त आराजी के पास ही धूला पिता दौला को भी आराजी नंबर 1583 में से 1 बीघा भूमि आवंटित की गयी, जिसके नंबर 1843/1583 कायम हुए, जिस पर धूला काबिज है। धूला द्वारा कुंआ भी खोदा गया एवं आवंटित भूमि से अतिरिक्त भूमि पर भी बाड़ बनाकर कब्जा किया गया। कुंआ जहां खोदा गया है, उसका नक्शा लठ्ठे में सही पैमूद नहीं किया गया है। दोनों को आवंटित भूमि के पीछे खेतों व मकानों में आवागमन हेतु रास्ता है, जिसका उपयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है, किन्तु नक्शा लठ्ठे में इसका अंकन नहीं है। अतः मौजा हथोड की आराजी नंबर 1855/1583 रकबा 2 बीघा एवं 1843/1583 रकबा 1 बीघा भूमि का मौके पर काबिज स्थिति अनुसार सही पैमूद करने के साथ ही इन आराजियात के मध्य स्थित रास्ते को भी नक्शा लठ्ठे में शुद्ध किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.10.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:46 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्टगण ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 1843/1583/1 रकबा 1 बीघा प्रार्थी के नाम दर्ज होकर उसका अर्से से कब्जा चला आ रहा है, जिसके पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 1 की आराजी नंबर 1855/1583 रकबा 3 बीघा स्थित है। नक्शा ट्रेस में दोनों आराजियात की स्पष्ट पैमूदगी की हुई है। प्रश्नगत निर्णय अपीलान्टगण को बिना पक्षकार बनाये उनकी पीठ पीछे प्राप्त किया गया है, जिससे अपीलान्टगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति नहीं हैं, यदि हितबद्ध होते तो उन्हें ट्रायल कोर्ट में ही आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। स्वयं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में आराजी नंबर 1583 में से 1 बीघा भूमि का आवंटन अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी धूला पिता दौला के पक्ष में किया जाना एवं उसके नये नंबर 1843/1583 कायम होने का कथन किया है, जबकि धूला को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार [illegible] है [illegible] धूला के वारिसान अपीलान्टगण को प्रभावित पक्षकार मानते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:46 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं होने से उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 28.12.2018 को नकल प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी के अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलान्ट/प्रार्थीगण को उसी दिन हो गया था, जिस दिन डिक्री पारित की गयी, क्योंकि प्रार्थी स्वयं अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित था, फिर भी जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जो बेरून मयाद होने से अपील इसी स्तर पर खारिज किया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौरान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दो नियमित वाद विचाराधीन हैं, जिनमें दोनों में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वही अनुतोष चाहा है, जो उसने इस प्रकरण में मांगा है। ऐसी स्थिति में जब एक सक्षम न्यायालय में रेगुलर प्रोसिडिंग्स चल रही थी तो कानूनन ऐसी एक और कार्यवाही के लिए कोई स्थान नहीं है कि जिसमें हितबद्ध पक्षकार को संयोजित कर सुनवाई नहीं की गयी हो। इस प्रकार ऐसी कार्यवाही में पारित निर्णय व डिक्री सर्वथा गलत, अवैध व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार क[illegible] न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे [illegible]सकी पालना में की गयी पश्चातवर्ती सम्पूर्ण कार्यवाहियों को भी निरस्त किया जावे तथा नक्शा लठ्ठा शीट की जो रि[illegible] निर्णय व डिक्री से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:46 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)